

## न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी  
ओमप्रकाश रैगर (आरटीएस)  
दिनांक 23.02.2021

मि.न. 16/2021

सरकार बना गुलझारी वगैरे  
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चिमनपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम चिमनपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 566/0.22 है0 किस्म बरानी -2 पर गुलझारी, ग्यारसा पुत्र लादू जाति घोबी निवासी चिमनपुरा ने सरसों कास्त कर अतिक्रमण कर लिया है।

अतः रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये। सूचना के उपरान्त गैर सायलान उपस्थित आया परन्तु जबाब पेश नहीं किया ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जिसके आधार पर गैर सायलान को अनुतोष दिया जा सके। हमने पटवारी रिपोर्ट , पत्रावली में संलग्न दस्तवेजों पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि गैर सायलान का उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया जाना स्वतः ही सिद्ध होता है अतः अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अगर अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी ।

अतः गैर सायलान गुलझारी, ग्यारसा पुत्र लादू जाति घोबी निवासी चिमनपुरा तहसील कोटपूतली को वाके ग्राम चिमनपुरा के ख0 न0 566/0.22 है0 किस्म बरानी -2 पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात पर बोई गई सरसों की फसल को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 8.8रु. का पचास गुणा 440रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू- अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते निलामी, बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.2.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

नायब तहसीलदार  
कोटपूतली (जयपुर)

20-21 ... क 10 ल 4  
रु पृष्ठ संख्या 32 पर 440रु  
हपय का-म किये गये ।

21/2  
राजस्व लेखापति  
कोटपूतली